

अनवान: सुनीता देवी बनाम मधरा देवी आदि
प्र.स. 63/2023
द्वारा अन्तर्गत 212 RTA

26 $\frac{07}{23}$

अधिवक्तागण उपस्थित। बहस सुनी गई व
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची
अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण
में जारी अस्थापी निवेदार्ता को मूलवाद के
निर्णय तक स्थापी किया जावे। अप्राची
अधिवक्ता के द्वारा अर्ज किया कि उक्त
अनवान प्रकरण में प्राचिन्ना को कोई वाद
कारण हासिल नहीं है। इसलिए प्राचिन्ना
का प्राचिन्ना पत्र खारिज किया जावे।
लिहाजा प्राचिन्ना का प्राचिन्ना पत्र अन्तर्गत
द्वारा 212 RTA खारिज किया जाकर प्रकरण
में जारी अस्थापी निवेदार्ता दिनांक 09/06/23
निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णय होकर
नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो



2
अधिकारी (राजस्व)
करणपुर